उत्तर पूर्वी भारतः भौगोलिक एवं सामरिक चुनौतियाँ

डॉ0 अल्पना सिंह
सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
आर0बी0डी0 महिला महाविद्यालय, बिजनौर
ईमेलः alpanasingh477@gmail.com

Reference to this paper should be made as follows:

Received:
Approved:

डॉ0 अल्पना सिंह

उत्तर पूर्वी भारतः भौगोलिक एवं सामरिक चुनौतियाँ

Vol. XVII, Sp. Issue June.2026
Article No.16, Pg. 128-133

Similarity Check: 17%

Online available at
https://anubooks.com/special-issues?url=jgv-si-rbd-bijnor-june-2026

DOI: *https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI06.016*

सारांश

इस शोध पत्र के माध्यम से उत्तर पूर्वी भारत की भौगोलिक एवं सामरिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, इसके साथ ही उनके समाधान पर भी चर्चा की गई है। इस शोध पत्र का उद्देश्य सदैव से ही अलग–अलग पड़े प्राकृतिक संसाधनों एवं भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र के बारे में लोगों को जागरूक करना एवं इसके इतिहास और वर्तमान की समस्याओं से अवगत कराना है। इस शोध पत्र में मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों का ही प्रयोग किया गया है जिसमें विभिन्न शोध पत्रों किताबों एवं साक्षात्कार की मदद ली गई है। इसके साथ ही इंटरनेट पर पड़े आंकड़े एवं सूचनाओं का भी प्रयोग किया गया है। इस शोध पत्र में उत्तर पूर्वी भारत की स्थिति के लिए जिम्मेदार इतिहास में घटित घटनाओं सहित स्वतंत्रता के उपरांत की गई उपेक्षाओं और भौगोलिक सामरिक समस्याओं पर व्यापक चर्चा की गई है। इस शोध पत्र में यह परिणाम सामने आता है कि उत्तर पूर्वी भारत की समस्याओं का मूल शेष भारत के लोगों द्वारा इन्हें स्वीकार जाने की एवं सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर उचित एवं पर्याप्त विकास योजनाओं को प्रसारित न कर पाना है। इन्हें भारतीय भावनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है इनके अंदर जो वंचना की भावना है, विद्वेष की भावना है इसे हम भावनात्मक रूप से जुड़कर के ही समाप्त कर सकते हैं। इस शोध पत्र में उत्तर पूर्वी भारत की कमजोर अर्थव्यवस्था, विकास की कमी, अलगाववाद, चरमपंथ कट्टरपंथ विद्रोही समूह एवं ड्रग्स जैसी समस्याओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्द

उत्तर पूर्वी भारत, सामरिक, भौगोलिक, विकास, अर्थव्यवस्था, अलगाववाद, युवा, प्राकृतिक इत्यादि।

**This article has been peer-reviewed by the Review Committee of JGV.*

Journal Global Values, Vol. XVII, Sp. Issue June. 2026 ISSN: (P)0976-9447, (e)2454-8391, Impact Factor 8.906(SJIF)
https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI06.016

परिचय

उत्तर पूर्वी भारत अर्थात भारत के मानचित्र में उत्तर पूर्व की दिशा एवं हिमालय की पहाड़ियों में बसा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भूभाग। यह क्षेत्र भारत की एकता अखंडता एवं विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी भारत के राजनीतिक मानचित्र की बात की जाए तो यह क्षेत्र सिक्किम सहित कुल 8 राज्यों का समूह है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर षामिल हैं। यह सभी राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संसाधन, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या में विभिन्न स्थानीय जनजातीय समूहों के मिश्रण हेतु जाने जाते हैं। यह क्षेत्र अपनी सीमा का 90% हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है, जिसमें चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एवं म्यांमार शामिल हैं। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी, तेल, प्राकृतिक गैस एवं तमाम जनजातियों के मध्य प्रतियोगिता हेतु जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 200 से अधिक जनजाति और सांस्कृतिक समूह निवास करते हैं जो मुख्य रूप से मंगोलियन प्रजाति के हैं1 । इनकी कुल जनसंख्या में जनजातीय समुदायों का अनुपात लगभग 47 से 55% है। संपूर्ण भारत में एक यही वह स्थान है जहां से विस्थापन नहीं हुआ है और जनजातीय अपने मूल स्थान पर रह रही हैं।

इतिहास

इस क्षेत्र की इतिहास पर चर्चा किए बिना हम इसके वर्तमान समस्याओं को नहीं समझ सकते। बहुत प्रारंभ में इस क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा बांग्ला वर्मा युद्ध के बाद यांडवों की संधि (1826) के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। इसके पहले तक इस क्षेत्र में राजशाही चली आ रही थी, जिसके अंतर्गत यह पूरा क्षेत्र दो साम्राज्यों में बटा हुआ था2। पहले साम्राज्य था ए होम एवं दूसरा मणिपुर साम्राज्य। 1826 की यादवों की संधि के बाद इस ब्रिटिश भारत में मिला अवश्य लिया गया परंतु अंग्रेजों ने कभी इसके शासन एवं प्रशासन पर विशेष ध्यान नहीं दिया या कह सकते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से यह क्षेत्र सदैव उपेक्षित ही रहा। अंग्रेजों ने इसे सदैव ही फ्रंटियर की तरह प्रयोग किया। अंग्रेजों ने यहां इनर लाइन परमिट की भी व्यवस्था बना दी जिससे यहां लोगों का आवाज आना–जाना भी निषेध हो गया। इस क्षेत्र को मात्र फ्रंटियर की तरह प्रयोग करने के कारण यह कभी पूर्ण रूप से षेश भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। अतः वर्तमान समस्या की जड़ हमें यही दिखाई देती है, हालांकि समस्याओं के अन्य कारण भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता एवं स्वतंत्रता के उपरांत इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान ना दे पाना एवं जनसंख्या की भी है।

उत्तर पूर्वी भारत की समस्याएं

उत्तर पूर्वी भारत शेष भारत से सदैव ही लग रहा है और यही प्रवृत्ति स्वतंत्रता के उपरांत भी देखने को मिलती है। सिलीगुड़ी गलियारा जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है लगभग 20 से 22 किलोमीटर सकरा गलियारा है जो इस पूरे क्षेत्र को बाकी भारत से जोड़ता है अतः यह इस क्षेत्र से कनेक्टिविटी की एक बड़ी चुनौती है।

MAP

इसके साथ ही मुख्य समस्याओं को निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं:–

- भौगोलिक दूरी
- विकास की कमी
- कमजोर आर्थिक स्थिति
- सांस्कृतिक विविधता
- अलगाववाद, चरमपंथ, विद्रोही समूह इत्यादि।

भौगोलिक दूरी और कनेक्टिविटी के लिए मात्र संकरे सिलीगुड़ी गलियारे पर निर्भरता इस क्षेत्र की अन्य समस्याओं को भी जन्म देता है। यदि किसी कारणवश यह गलियारा बंद हो जाए तो उत्तर पूर्वी भारत से शेष भारत का संपर्क टूट जाएगा अतः भौगोलिक दूरी एक मुख्य समस्या बनी हुई है।

स्वतंत्रता के पश्चात 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से ही इस क्षेत्र में विकास एवं निवेश की गति में मंदी देखी गई है। हम सभी जानते हैं कि जब हमें किसी आबादी या क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ना होता है तो सर्वप्रथम वहां विकास कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम किसी आबादी या क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में तमाम अलगाववादी एवं विद्रोही समूह मौजूद हैं जो समय–समय पर अलग होने की मांग करके आंदोलन और दंगे करते रहते हैं, जिससे यह क्षेत्र अस्थिर रहता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु विकास की आवश्यकता है। यह क्षेत्र तो प्राकृतिक संसाधनो से तो भरपूर है, परंतु इन संसाधनों का उपयोग यहां के विकास के लिए नहीं होता है। जिसके कारण यहां आर्थिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। लंबे समय तक अंग्रेजों के द्वारा उनके संसाधनों का दोहन किया गया परंतु उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। सांस्कृतिक विविधता भी उत्तर पूर्वी भारत की विशेषता एवं सौंदर्य के साथ–साथ एक चुनौती भी है। क्योंकि यही सांस्कृतिक विविधताएं किसी एकरूप नियम को लागू करने एवं एकता की भावना को बढ़ाने में बाधक भी बनती हैं। सभी अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाज को सर्वोपरि मानते हैं और दूसरे की संस्कृति को वह सम्मान और आदर नहीं दे पाते और यह संघर्ष जारी रहता है। समय–समय पर इस प्रकार के तनाव सामने आते रहते हैं। हाल ही में घटित मणिपुर का मामला उनमें से ही एक है। उत्तर पूर्वी भारत में जनसंख्या विविधता भी अत्यधिक है, जिसमें करीब 55% आबादी जनजाति है। उत्तर पूर्वी भारत के चार जिले जनजाति बहुल जनसंख्या वाले हैं जहां इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है, जिसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों में जाने हेतु लोगों को विशेष अनुमति पत्र बनवाना होगा जो वहां उनके घूमने फिरने एवं निवास को नियंत्रित करता है।[3] इनर लाइन परमिट के कारण भी इस क्षेत्र के लोग बाकी के भारत के लोगों से अलग–अलग ही रहे।

सामरिक समस्याएं

सामरिक अर्थात सुरक्षात्मक। सामरिक शब्द का संबंध सुरक्षा से है। सामरिक चुनौतियां बहुत हद तक भौगोलिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। उत्तर पूर्वी भारत सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है साथ ही इसके सामरिक चुनौतियां भी अधिक है। चुनौतियों के कारण अनेक है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती शत्रुता पूर्ण पड़ोसियों की है। इस क्षेत्र में सीमापार आतंकवाद, इस्लामिक कट्टरपंथ, अवैध शरणार्थी, अवैध तस्करी जैसी समस्याएं लगातार उभर कर सामने आ रही हैं। उत्तर पूर्वी भारत पांच राज्यों से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है जिसमें चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल हैं। खुली सीमाओं के कारण इस क्षेत्र में चीन नेपाल प्रेरित माओवाद का संकट बहुत गंभीर समस्या है[4]।

शरणार्थियों की समस्या

इस क्षेत्र में शरणार्थियों की समस्या एक गंभीर संकट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं की शरणार्थी किसी भी राष्ट्र की आंतरिक शांति एवं बाह्य सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करते हैं। शरणार्थियों के दबाव में अत्रांतरिक शांति भंग होती है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, आर्थिक दबाव बढ़ता है एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन के साथ ही सांस्कृतिक उथल–पुथल भी बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में लगातार चकमा शरणार्थियों का दबाव रोहिंग्या शरणार्थियों का

दबाव (म्यांमार से) बना रहता है जो इस क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ कर अस्थिर करने का कार्य कर रहे हैं। शरणार्थियों की समस्या न केवल सीमा पार से है बल्कि उत्तर पूर्व के राज्यों में बिहार एवं बंगाल से भी अवैध शरणार्थी जाकर उत्तर पूर्वी राज्यों में बस रहे हैं। त्रिपुरा में अवैध बंगाल के शरणार्थियों का निवास एक उदाहरण है जिन्होंने वहां पर जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा बना लिया है[5]।

उत्तर पूर्वी भारत का प्रत्येक राज्य अवैध शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है। यह अवैध शरणार्थी की समस्या भी भौगोलिक स्थिति एवं वृहद खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ही परिणाम है।

गोल्डन ट्रायंगल से निकटता

गोल्डन ट्रायंगल अर्थात दक्षिण पूर्वी एषियाई देषों के तीन राश्ट्र जिसमें म्यांमार, थाईलैंड एवं लाओस शामिल है। इनकी अवस्थित ऐसी है कि एक त्रिभुज का आकार बनाते हैं। गोल्डन ट्रायंगल अपने अफीम के उत्पादन और व्यापार के लिए जाना जाता है। इनमें भी म्यांमार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक राष्ट्र है[6]। अतः उत्तर पूर्वी राज्यों से उनकी निकटता इन राज्यों के लिए गहरी संकट की बात है। मिजोरम जिसमें की 90 के दशक के बाद तेजी से विकास एवं स्थिरता देखी गई है यह तत्व यहां के युवाओं को गुमराह कर सकते हैं। मिजोरम में ड्रग्स के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मणिपुर जो अभी तक ड्रग्स के आवागमन के लिए एक गेटवे की तरह कार्य कर रहा था अब अफीम का उत्पादक राज्य भी बन चुका है। उत्तर पूर्वी राज्यों के नागरिकों मुख्यतः युवाओं को ड्रग्स तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है अतः गोल्डन ट्रायंगल से निकटता इन क्षेत्रों के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है।

सिलीगुड़ी गलियारे की सीमित पहुंच

उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ भारत के संपर्क का एकमात्र साधन 20 से 22 किलोमीटर सकरा सिलीगुड़ी गलियारा ही है। सिलीगुड़ी गलियारे की स्थिति ऐसी है कि यह तीन देशों के बीच से होकर गुजरता है। पूर्वोत्तर राज्यों की सड़क परिवहन इसी रास्ते से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 सिलीगुड़ी गलियारे को असम में गुवाहाटी से जोड़ता है, जो कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्ग है। भारत और बांग्लादेश में भी अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है कि भारत भविष्य में विकल्प के तौर पर बांग्लादेश की जमीन का प्रयोग उत्तर पूर्वी भारत से संपर्क के लिए कर पाए। समरी दृष्टि से चीन के निकट होने के कारण सिलीगुड़ी गलियारा अर्थात चिकन नेक की सुरक्षा भारत के लिए बेहद अहम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र बांग्लादेश के अवैध घुसपैटन द्वारा भी प्रयोग किया जाता रहा है, साथ ही नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भी यहां घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है7।

पड़ोसी राज्यों की अस्थिरता का प्रभाव

किसी भी राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य शांति और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पड़ोसी राज्यों में क्या माहौल चल रहा है। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि म्यांमार में आंतरिक अशांति चल रही थी गृह युद्ध का माहौल था तख्तापलट हुआ जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। बड़ी संख्या में रोहिंग्या श्षरणार्थियों की समस्या एवं अवैध घुसपैठ जैसी समस्याएं सामने आई। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अगस्त 2024 से बांग्लादेश में भी देखा गया। बांग्लादेश में जो गृह और राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, उसका प्रभाव भारत पर भी नकारात्मक रूप से पड़ता है। हाल ही में सूत्रों से ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी चरमपंथी नेता उत्तर पूर्वी राज्यों के सटे बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्यों में घूमते एवं लोगों से बात करते नजर आए हैं। यह चरमपंथी नेता बांग्लादेश की जमीन का प्रयोग करके भारत को आए स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार के अपदस्त होने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ गया है। बांग्लादेश जो अभी तक भारत के साथ मैत्री संबंध रखता था अब पाकिस्तान की तरफ रुख करता दिखाई दे रहा है।

AFASPA (सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम– 1958)

इस अधिनियम की शुरुआत स्वतंत्रता पूर्व 1942 में ही हुई थी। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के सशस्त्र

बलों को अस्थिर क्षेत्रों के विरुद्ध व्यापक अधिकार प्राप्त होता है। मानव अधिकारों साथ ही संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का समर्थन करने वाले लोग इस अधिनियम का विरोध करते हैं साथ ही वे कहते हैं कि यह औपनिवेशिक कानून है जो शोषण एवं अन्याय पर आधारित है। उनका कहना है कि यह अधिनियम भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए औपनिवेशिक काल में बनाया गया था। अतः अब इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है और एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र भारत में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस कानून के अंतर्गत बिना किसी आदेश के केवल चेतावनी के बाद ही गोली चलाई जा सकती है, बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है एवं तलाशी भी ली जा सकती है। इसके साथ ही किसी भी सुरक्षा कर्मी के खिलाफ बिना केंद्र सरकार की मंजूरी की कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इन शक्तियों को देखने के बाद स्पष्ट है कि इनका गलत प्रयोग भी हो सकता है अतः उत्तर पूर्वी राज्यों में इनका व्यापक विरोध देखने को मिलता है। जिसमें इरोम शर्मिला का 16 वर्षीय आमरण अनशन एक साहसी एवं अतुलनीय आंदोलन का उदाहरण है[8]। इस कानून की तुलना रोलेट एक्ट से की जाती है। वही इस अधिनियम के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए यह अधिनियम आवश्यक है। उग्रवाद एवं आतंकवाद से निपटने के लिए यह अधिनियम सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

समाधान

उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ने के लिए सुरक्षात्मक, विकासात्म एवं सबसे बढ़कर भावनात्मक स्तर पर काम करना पड़ेगा। इस क्षेत्र के लोगों को भारतीय भावनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। प्रायः देखा गया है कि देष के अलग–अलग हिस्सों में उनके साथ नस्ली भेदभाव किया जाता है। इन्हें चीनी और विदेशी कहकर परेषान किया जाता है और नस्लीय टिप्पणियां की जाती हैं। ऐसे में यह कैसे हमसे जुड़ पाएंगे अतः इन्हें भारतीय भावनाओं से जोड़ने के लिए उनके साथ अपनेपन एवं समानता का व्यवहार करना होगा। तभी यह स्वयं को भारतीय राज्य के साथ–साथ भारतीय राष्ट्र का भी हिस्सा बना पाएंगे।

- सिलीगुड़ी गलियारे पर निर्भरता को कम करना पड़ेगा, हमें पड़ोसी राज्यों से समझौते करके विकल्प के तौर पर अन्य गलियारे बनाने की आवश्यकता है। सड़क रेल एवं नदियों को जोड़कर अच्छी परिवहन प्रणाली विकसित करनी होगी ताकि लॉजिस्टिक्स का अच्छा विकास हो सके।
- सरकार की तरफ से उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास के कार्य तेजी से चलाई जाने चाहिए ताकि वहां पर आर्थिक विकास हो सके।
- सीमा के आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना होगा ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके इसके साथ ही वार्षिक सुरक्षा अंकेक्षण भी कराया जाना चाहिए ताकि समय समय पर सीमा सुरक्षा की पुष्टि की जा सके।
- संचार प्रणाली को बेहतर बनाना होगा ताकि कनेक्टिविटी अबाध रूप से बनी रहे।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाकर खुफिया नेटवर्क को और मजबूत बनाते हुए विद्रोही समूह को कमजोर करने की लड़ाई जारी रखनी होगी।
- निजी निवेशकों को बढ़ावा देना होगा ताकि तेजी से विकास हो सके साथ ही रोजगार भी उत्पन्न होगा जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी।
- रोजगार एवं कौशल क्षमता के विकास पर कार्य करना होगा ताकि युवाओं को अधिक से अधिक संरचनात्मक एवं सकारात्मक कार्यों की तरफ मोड़ा जा सके। जब युवा रोजगार एवं कौशल सीखने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे तब वह किसी प्रकार के माओवादी, आतंकवादी, चरमपंथी समूह एवं ड्रग्स के नशे के चपेट में नहीं आएंगे। इसके साथ ही वे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान भी दे सकेंगे।

https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI06.016

- उत्तर पूर्वी भारत प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा उदाहरण है, अतः यहां की सुंदर पहाड़ियों एवं घाटियों में पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। पर्यटन से अर्थव्यवस्था का विकास तो होगा ही इसके साथ–साथ लोगों का आपस में मेल–जोल भी बढ़ेगा।
- क्योंकि भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है अतः जनसंख्या कम होने के कारण संसद में इनका प्रतिनिधित्व कम है। बहुमत के आधार पर निर्णय होने वाले लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या के बहुत मायने होते हैं अतः इस पर भी एक बार विचार होना चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाना होगा ताकि सीमावर्ती राज्यों पर तनाव को कम किया जा सके एवं सहयोग की भावना विकसित हो।

संदर्भ

1. विकिपीडिया, https://www-researchgate-net, 20 मई 2026, 5:00 पी.एम
2. विकिपीडिया, https://www-firstpost-com, 22 मई 2026, 3:00 पी. एम
3. राहा. एम. के., घोश. ए. के. नॉर्थ ईस्ट इंडियाः द ह्यूमन इंटरफेस, पब्लिशर : ज्ञान पब्लिशिंग हाउस दरिया गंज नई दिल्ली।
4. महंता. के. सी. नॉर्थ ईस्ट इंडिया : द होराइजन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिशरः ज्ञान बुक प्राइवेट लिमिटेड दरिया गंज नई दिल्ली।
5. घोषाल. ए. रिफ्यूजीज बॉर्डरस एंड आइडेंटिटीज राइट्स एंड हैबिटेट इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया (2020). पब्लिशर : रूटलेज इंडिया।
6. UNDOC, https://en-wikepidea-org- 26 मई 2026, 4:00 पी. एम.
7. ई. टी. वी. भारत, 13 फरवरी 2020।